जिला कलकटा,
जिला समस्त।

विषय :— प्रधानमंत्री आवास योजना—प्रामण के अंतर्गत वर्ष 2019–20 हेतु आवंटित अतिरिक्त लक्ष्यों की स्वीकृति जारी करने वालों।
प्रसंग :— समसंख्यक पत्र दिनांक 13.2.2020।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रामण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक G-20011/02/2019-RHA(A/C) दिनांक 31.1.2020 के द्वारा राज्य की वर्ष 2019–20 हेतु 86816 के अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किये गये हैं। उक्त आवंटित अतिरिक्त लक्ष्यों को प्रारंभिक पत्र दिनांक 13.2.2020 के द्वारा जिलों को वर्गार्थ आवंटित कर स्वीकृति जारी किए जाने की प्रारम्भिक तैयारियां 1 सप्ताह में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रामण विकास मंत्रालय भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत उक्तानुसार आवंटित अतिरिक्त लक्ष्यों स्वीकृति एवं प्रथम किष्ट हस्तांतरण के बारे में पृथक् से अवगत कराने वाले निर्देशित किया गया था। उक्त संबंध में प्रामण विकास मंत्रालय भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्यों के विरुद्ध प्रथम किष्ट की केंद्रीयांश की राशि प्राप्त हो गई है।

अत: निर्देशानुसार लेख है कि प्रारंभिक पत्र द्वारा आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी कर प्रथम किष्ट की राशि तीन दिनों में जारी कराने का अलग करवाये।

भवदीय,

(कearch. शामी)
अधीक्षक अभियंता, प्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सुचनाथ्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—
1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. माननीय सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रावि एवं पंतादि
4. माननीय सचिव, विशिष्ट सचिव (प्रावि.), प्रामण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. माननीय सचिव, विशिष्ट सचिव (प्रावि.), प्रामण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. माननीय सचिव, संयुक्त शासन सचिव विदेश (वाय–V) विभाग।
7. माननीय सचिव, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग।
8. माननीय सचिव, उप महानिदेशक (प्रावि.), प्रामण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. उप सचिव, (प्रावि.), प्रामण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. वित्तीय सलाहकार, प्रामण विकास विभाग।
11. मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला परिषद समस्त।